न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2015/00189 (2015/178) **दायरा दिनांक : 10.08.2015**

उनवान

मांगीलाल आत्मज माधोलाल, जाति लोधा, निवासी खानाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. जमना लाल आत्मज स्वर्गीय श्री श्यामलाल, आयु 56 वर्ष
2. रामनारायण आत्मज स्वर्गीय श्री श्यामलाल, आयु 50 वर्ष
3. मंगली बाई बेवा स्वर्गीय श्री श्यामलाल, आयु 76 वर्ष
   जातियान लोधा, निवासीगण खानाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 27.02.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 107/2014 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26.06.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खानाखेडी, तहसील छबडा में खाता सं. 53/59 में खसरा नं. 43 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं. 49 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नं. 62 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 104 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 108 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 132 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 193/1 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 18 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015 से वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को यह बताया गया था कि वादीगण/रेस्पोडेंट्स से 40,000/– रूपये जो उसके द्वारा देय है उसको दिलाये जाने के आदेश दे दिये जायेगे और उसके उपरान्त अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजियात में विभाजन करवा दिया जायेगा। इसी आश्वासन में खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर किये थे। जब स्वयं रेस्पोडेंट ने अपने वाद पत्र में यह तथ्य स्वीकार किया है कि 40,000/– रूपये की अदायगी विभाजन से पूर्व अपीलांट को देय बनती है तथा उस समय भी उक्त तथ्य की स्वीकारोक्ति देने के बावजूद भी राशि नहीं दिला कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्वीकृत तथ्यों के विपरीत होने से जैर अपील निर्णय संशोधनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में जो आदेशिका राजीनामे की आलेखित की है उसमें सभी रेस्पोडेंट्स के हस्ताक्षर नहीं होने से अपूर्ण है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय संशोधित किया जाकर 40,000/– रूपये की राशि जो रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 द्वारा अपीलांट को देय होना स्वीकार किया है को दिलाये जाने के आदेश प्रदान करते हुए संशोधित डिक्री पारित की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में जमनालाल रेस्पोडेंट ने धारा 183, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने 40,000/– रूपये अदा करने के कम में कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183. 188, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि वाके ग्राम खानाखेडी, तहसील छबडा में खाता संख्या 53/49 की खसरा नं. 43 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं. 49 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नं. 62 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 104 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 108 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 132 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 193/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल 7 किता रकबा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

18 बीघा 06 बिस्वा भूमि अवस्थित है, जिसमें वादीगण 1/2 हिस्से पर कब्जे काश्त है। वादीगण ने प्रतिवादी के ट्रेक्टर से अपनी आराजी की जुताई 40000/—रूपये किराये पर करवायी थी जिसको अदा करने के बदले वादीगण ने अपनी भूमि खसरा नं. 104 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नं. 108 की 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा आराजी प्रतिवादी मांगीलाल को जुता दी थी। दिनांक 10.06.2014 को वादीगण प्रतिवादी को 40000/—रूपये देने गये तो प्रतिवादी ने कहा कि मैंने तो आपसे जमीन खरीदी है और 40000/— रूपये में उक्त आराजी की रजिस्ट्री मेरे पक्ष में करवा दो अन्यथा मैं जमीन को नहीं छोडूंगा। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के खाते एवं हिस्से की आराजी खसरा नं. 104 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 108 रकबा 8 बिस्वा में प्रतिवादी मांगीलाल से कब्जा प्राप्त कर उसे बेदखल कर वादीगण को कब्जा संभलायें जाने बाबत् आदेश तहसीलदार छबडा को फरमाया जावे तथा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का पूर्व बंटवारा अनुसार अलग अलग बंटवारा कर दिंये जाने के आदेश तहसीलदार छबडा को फरमाया जाये।

उक्त दावे में राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट कोटडापार में वादी जमनालाल एवं प्रतिवादी मांगीलाल की उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2025 से वादी का वाद आंशिक स्वीकार करते हुए वाद वर्णित आराजी में निहित हिस्सा 1/2 वादीगण का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 का पृथक—पृथक करने हेतु अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी, मौके पर कब्जे व रास्ते का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत् तहसीलदार छबडा को आदेशित किये जाने का निर्णय पारित किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी संवत 2069—2072 ग्राम खातीखेडी, तहसील छबडा की खाता सं. 53 कुल किता 7 कुल रकबा 18 बीघा 06 बिस्वा विवादित आराजी प्रतिवादी अपीलांट एवं वादी रेस्पेडेंट कम 1 लगायत 3 की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 26.06.2015 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट कोटडापार में वादी जमनालाल एवं प्रतिवादी अपीलांट मांगीलाल की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण एवं प्रतिवादी अपीलांट के 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर अपीलांट मांगीलाल के हस्ताक्षर अंकित है। राजस्व लोक अदालत में दिनांक 26.06.2015 को प्रतिवादी अपीलांट मांगीलाल को नोटिस जारी करते हुए नोटिस की तामील भी होना नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2022 को अंतिम डिक्री भी जारी की जा चुकी है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में अपीलांट मांगीलाल की उपस्थिति में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2069–2072 में दर्ज उभयपक्षकारान के हिस्से अनुसार होने से हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26.06.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/02/26

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

मांगीलाल आत्मज माधोलाल, जाति लोधा, निवासी खानाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां राज0

.... **अपीलांट**

बनाम

1. जमना लाल आत्मज स्वर्गीय श्री श्यामलाल, आयु 56 वर्ष
2. रामनारायण आत्मज स्वर्गीय श्री श्यामलाल, आयु 50 वर्ष
3. मंगली बाई बेवा स्वर्गीय श्री श्यामलाल, आयु 76 वर्ष
   जातियान लोधा, निवासीगण खानाखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां राज0

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2015/00189 (2015/178)**
मु.द.नं0 **107/2014**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, छबडा**
निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक – **26.06.2015**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **02 माह 02** सन् **2026**

श्री **दीनानाथ गालव** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिकी दिनांक 26.06.2015 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **27 माह 02 सन् 2026** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)